कोरोना संक्रमित मरीजों का निजी चिकित्सा संस्थानों में ईलाज दर के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

जिलावार वर्गीकरण एवं श्रेणीवार दर का निर्धारण

स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–370/(अ0स0को0) दिनांक–20.08.2020 के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में

कोरोना संक्रमित मरीजों का ईलाज कर रहे राज्य के प्राधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत कर ईलाज हेतु प्रतिदिन अधिकतम दर निर्धारित की गई है।

शहरों/जिलों का वर्गीकरण

श्रेणी : A - पटना
श्रेणी : B - भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया एवं पूर्णिया
श्रेणी : C - शेष अन्य जिले।

शुल्क का निर्धारण

सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमित मरीजों का ईलाज कर रहे विभिन्न अधिकृत निजी चिकित्सालयों हेतु निम्नलिखित प्रतिदिन दर का निर्धारण किया गया है:-

सतर्क रहें स्वस्थ रहें	श्रेणी :- A		श्रेणी :- B		श्रेणी :- C	
	जिलों के निजी अस्पतालों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के चिकित्सा हेतु अधिकतम शुल्क निम्नवत् निर्धारित की गई है:-		जिलों में स्थित श्रेणी 'A' के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है :-		जिलों में स्थित श्रेणी 'A' के निजी अस्पतालों के दरों का क्रमशः 60 प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम शुल्क निर्धारित किया गया है :-	
अस्पतालों का वर्गीकरण	एन0ए0बी0एच (NABH) मान्यता प्राप्त अस्पताल	अस्पताल जिन्हें एन0ए0बी0एच0 (NABH) से मान्यता प्राप्त नहीं है	एन0ए0बी0एच (NABH) मान्यता प्राप्त अस्पताल	अस्पताल जिन्हें एन0ए0बी0एच0 (NABH) से मान्यता प्राप्त नहीं है	एन0ए0बी0एच (NABH) मान्यता प्राप्त अस्पताल	अस्पताल जिन्हें एन0ए0बी0एच0 (NABH) से मान्यता प्राप्त नहीं है
सामान्य रूप से बीमार (आईसोलेशन बेड ऑक्सीजन के साथ सपोर्टिव केयर)	10,000/-	8,000/-	8,000/-	6,400/-	6,000/-	4,800/-
गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के बगैर आई0सी0यू0 में देखभाल)	15,000/-	13,000/-	12,000/-	10,400/-	9,000/-	7,800/-
अति गंभीर रूप से बीमार (वेंटिलेटर के साथ आई0सी0य0 में देखभाल)	18,000/-	15,000/-	14,400/-	12,000/-	10,800/-	9,000/-

- यह दर एक पैकेज के रूप में होगा जिसमें शैय्या, पथ्य, नर्सिंग केयर, चिकित्सकीय परामर्श, विभिन्न जांचे, Co-morbidity की मानक चिकित्सा हेतु शुल्क, ऑक्सिजन तथा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न आदि का शुल्क भी इसमें सम्मिलित होगा।
- उक्त निर्धारित दर में मेडिकल केयर के साथ-साथ Co-morbid condition शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारे कोविड-19 मरीज उच्च रक्तचाप, डायबिटिज एवं हृदय रोग से ग्रसित होते हैं। सभी Co-moribidities की चिकित्सा भी इसी सीमा के अंतर्गत की जाएगी। इसी शुल्क में Short term Hemodialysis का शुल्क भी सम्मिलित होगा।
- कोविड-19 की जांच तथा IL-6 के स्तर की जांच का शुल्क इस दर में सम्मिलित नहीं है।
- गर्भवती माता के प्रसव शुल्क एवं नवजात की देखभाल हेतु व्यय इसमें सम्मिलित नहीं हैं।

ऊपर वर्णित दरों से अधिक शुल्क लेने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उल्लंघनकर्त्ताओं के विरुद्ध "Covid-19 Regulations 2021, Disaster Management Act 2005, एवं The Epidemic Disease Act 1897" के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

जीवन्त बिहार... सपना हो साकार | **अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाईन नम्बर 104 पर संपर्क करें**